न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 145/2018 दायरा दिनांक : 15.10.2018

उनवान

1. भवानी बाई बेवा मोहनलाल जाति बागरी
2. लालूलाल आत्मज मोहनलाल नाबालिग वली माता भवानीबाई
3. बिशनबाई पुत्री मोहनलाल नाबालि वली माता भवानीबाई जाति बागरी निवासी रहीमपुरा तहसील पिडावा जिला झालावाड (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1. राधूलाल आत्मज नवल जाति बागरी
2. गोपाललाल आत्मज नवल जाति बागरी
3. गीता बाई पुत्री नवल जाति बागरी
4. भगतबाई पुत्री नवल जाति बागरी
5. कालीबाई पुत्री नवल जाति बागरी
6. शहनाबाई पुत्री नवल जाति बागरी
7. लीलाबाई पुत्री नवल जाति बागरी निवासी रहीमपुरा तहसील पिडावा जिला झालावाड, राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड, राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 26.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के प्रकरण संख्या –53/दावा/2013 निर्णय व डिकी दिनांक 26.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा में एक वाद दिनांक 16.05.2013 को धारा 188. 209. राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थायी व्यादेश अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया गया। जिसमें दिनांक 06.05.2016 को जवाब बन्द किया तथा बाद बहस प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2016 को निस्तारित किया गया तथा मूल वाद जवाब हेतु नियत किया गया। प्रार्थीगण का वाद नियमित चल रहा था कि पंचायत के अनुसार दिनांक 26.06.2018 को केम्प गोविन्दपुरा में उक्त दावे की पत्रावली निकली जिसमें प्रार्थीगण बेवा एवं नाबालिग होने की वजह से राजस्व केम्प ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा में नही जा सकी इस कारण वादीगण अनुपस्थित रही। प्रतिवादीगण उपस्थित हुये जिसमें खाता सं. 137 की आराजी कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार होकर एक ही परिवार के हैं। जिनके मध्य विधि सम्मत बटॅवारा दर्ज नहीं है। दौराने वाद दिनांक 26.06.2018 को राजस्व केम्प गोविन्दपुरा में बिना प्रार्थीगण को सुने राजस्व केम्प में वाद को खारिज कर दिया गया है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय का फैसला कानून के विरूद्व होने एवं पत्र संग्रह सार के विरूद्व होने से जैर अपील निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज॰)

गया कि समझाईश वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य होती है, प्रतिवादीगणों के बीच में नहीं। उक्त प्रकरण में 212 प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण का जबाब बंद होकर अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला जारी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों की उपस्थिति होने पर दोनों को सुना जाकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया जान चाहिये था जो उक्त प्रकरण में नहीं किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का फैसला जेर अपील निर्रस्त होने योग्य है। राजस्व केम्प खत्म होने पर अदालती कार्यवाही पुनः शुरू होने पर उक्त प्रकरण नहीं निकलने पर अधिवक्ता द्वारा तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण का निस्तारण राजस्व केम्प गोविन्दपुरा में बिना वादीगण की उपस्थिति में वाद खारिज कर दिया गया है। तब प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने वादीगण को सूचना देने पर वादीगण को ज्ञात होने पर अधिवक्ता के जर्रिये नकल का आवेदन कर नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश कर रही है जो अपीलाण्ट की जानकारी से अपील अवधि मय पेश है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । अपीलांट की बहस सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.06.2018 का अवलोकन किया गया। पत्रावली का निस्तारण लोक अदालत कैम्प गोविन्दपुरा में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

किये जाने का उल्लेख है जिसमें पक्षकार प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज है। वादीगण की उपस्थिति अनुपस्थिति का उल्लेख नहीं है जबकि राजीनामें में सभी पक्षकारों की उपस्थिति होना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण पुनः प्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.02.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा